

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर


क्रमांक/स्था/अराज/2022/ 8296

जबलपुर, दिनांक:-23/8/2022

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-एफ2/57/2018/55-1, भोपाल दिनांक 30/09/2018 के तहत जारी आपसी अदला-बदली के नियम को संस्था की स्वशासी कार्यकारिणी समिति में अंगीकार करते हुये भविष्य में अदला-बदली से आनेवाले एवं अन्य संस्थाओं में जाने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार नियम लागू होंगे :-


1. आपसी अदला-बदली से आने एवं जाने वाले कर्मचारी की कम से कम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए।
2. आपसी अदला- बदली से आने एवं जाने वाले कर्मचारी की योग्यता एवं श्रेणी समान होना चाहिए।
3. आपसी अदला-बदली के प्रकरण मे अन्य संस्था से कार्यमुक्त होकर आये कर्मचारी द्वारा संस्था में कार्यभार गहण करने के पश्चात ही संस्था से जाने वाले कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जावेगा।
4. आपसी अदला बदली से आने एवं जाने वाले कर्मचारियों का अनुमोदन अनुसूची में उल्लेखित चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

  
अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस  
मेडिकल कालेज जबलपुर  
जबलपुर दिनांक :- /08/2022

क्र/स्था/अराज/2022/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
2. संभागायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर ओर।
3. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, खंडवा, शिवपुरी, रतलाम, सागर, दतिया, छिदवाडा, शहडोल, विदिशा।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
5. संचालक, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
6. संचालक, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसीन, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
7. अधीक्षक, कैंसर चिकित्सालय, मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
8. प्रशासकीय अधिकारी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
9. स्थानीय लेखा शाखा की ओर।
10. कालेज की वेबसाइट [www.nscbmc.ac.in](http://www.nscbmc.ac.in) में प्रकाशित करने हेतु।

  
अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस  
मेडिकल कालेज जबलपुर